उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-197/2026/791के-2/22-3-25-17(1088)/2023
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी ऊषा (बन्दी संख्या-2558) पत्नी स्व0 रमेश, निवासी ग्राम-जनकपुर, मजरा-खेरिया, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-713/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-03, सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 09.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, की दिनांक 12.05.2022 तक आयु 54 वर्ष, 02 माह, 23 दिन होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 12.05.2022 तक 12 वर्ष 11 माह 29 दिन की अपरिहार सजा एवं 16 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।